न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 15/2011/अपील

1. फूलकंवर धर्मपत्नि स्व. प्रभुदान जाति चारण निवासी गुमानपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)

—अपीलांट

ब ना म

1. भवानी दान पुत्र श्री प्रभुदान (मृतक)
   1/1. जीणकंवर पत्नि स्व. भवानीदान
   1/2. शैतान सिंह पुत्र स्व. भवानीदान
   1/3. महेश सिंह पुत्र स्व. भवानीदान
   1/4. रमेश सिंह पुत्र स्व. भवानीदान
2. जगदीश दान पुत्र स्व. प्रभुदान
3. रामचन्द्र पुत्र स्व. प्रभुदान
4. ब्रजदान पुत्र स्व. प्रभुदान (मृतक)
   4/1. बजरंगसिं दत्तक पुत्र स्व. ब्रजदान
5. सबीर कंवर पुत्री स्व. प्रभुदान
   समस्त जाति चारण निवासीगण गुमानपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
6. ग्राम पंचायत जाना जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जाना पंचायत समिति दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)
7. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
8. उप—पंजीयक, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 45 दिनांकित 15.12.1972 ग्राम पंचायत जाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

उपस्थिति—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत वकील अपीलांट की ओर से।
2. श्री नंदलाल धायल वकील रेस्पोडेन्ट्स की ओर सें

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक–29.08.2019

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गुमानपुरा पटवार हल्का जाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 16 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 17 रकबा 3.48 है0, ख0नं0 14 रकबा 0.07 है0 किता 4 कुल रकबा 3.60 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 15 रकबा 10.40 हैक्टर अवस्थित है जो अपीलांट की पैतृक कृषि भूमि है। अपीलांट के पति प्रभुदान का स्वर्गवास हो चुका है अपीलांट के खानदान के अनुसार अपीलांट के पति स्व. प्रभुदान के प्रथम श्रेणी के 6 वारिस है तथा उक्त सम्पदा पैतृक है जिस पर अपीलांट अपने पति के हिस्से में सें 1/6 हिस्सा निहित है तथा अपीलांट, रेस्पोडेन्ट्स के साथ संयुक्त रूप सें अपने हिस्स्से का उपयोग उपभोग कर रही है तथा अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है। अपीलांट पढी लिखी नहीं है। प्रभुदान की मृत्यु के पश्चात रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 4 ने पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत सें साज कर तथा स्व. प्रभुदान के वारिसान की गलत जानकारी देकर दिनांक 15.12.1972 को एक अवैद्य व प्रभावशुन्य नामान्तरण सं0 45 सरपंच, ग्राम पंचायत जाना सें तस्दीक करवा लिया, जो निम्न कारणों सें निरस्त होने योग्य है– 1. उक्त नामांतरण प्राकृतिक न्याय सिद्धांत व विधि विरूद्ध होन के कारण निरस्त होने योग्य है। 2. उक्त नामांतरण विधि विरूद्ध है क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार अपीलांट स्व. प्रभुदान की अन्य रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 ता 5 के साथ प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा अन्य रेस्पोडेन्ट्स के साथ बराबर का अधिकार स्व. प्रभुदान की सम्पति में है इसलिए भी उक्त नामांतरण निरस्तनीय है। 3. पटवारी व ग्राम पंचायत ने स्व. प्रभुदान के वारिसान की सही जांच नहीं की है तथा गलत वारिस प्रमाण के आधार पर उक्त नामांतरण तस्दीक किया है, जो निरस्तनीय है। 4. नामांतरण तस्दीक करने सें पूर्व ग्राम पंचायत ने कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी तथा न ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

अतः अपीलाधीन नामांतरण निरस्तनीय है। 5. ग्राम पंचायत ने नामांतरण तस्दीक करने सें पूर्व कब्जा काश्त के बारे में कोई जांच नहीं की है इसलिए नामांतरण खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 4 ने उक्त गलत नामांतरण की आड़ में अपीलांट को उसके हक हिस्से की आराजियात सें जबरन बेदखल कर उसके हिस्से को दिगर व्यक्ति भू–माफिया को बेचान करने पर आमादा है। जिसका रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 4 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अगर रेस्पोडेन्ट्स गलत नामांतरण की आड़ में अपनी कुचेष्टा में सफल हो गये तो अपीलांट को इस कदर अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी बाद में किसी भी प्रकार किया जाना संभव नहीं है जिससे अपीलांट के मूलभूत अधिकारों का हनन होगा इसलिए रेस्पोडेन्ट्स को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह उक्त आराजियात को किसी व्यक्ति को बेचान न करें एवं मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। जब अपीलांट अपनी भूमि की सार संभाल कर रही थी तब रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 4 दिगर व्यक्तियों को साथ लेकर आये तथा अपीलांट को एहलानियां धमकियां दी कि उक्त वर्णित कृषि भूमि उनके नाम सें है इसलिए उक्त आराजियात को दिगर व्यक्तियों को बेचान कर देंगे तथा लाठी व ताकत के बल पर बेदखल कर देंगे। इससें अपीलांट के मन में शक होने पर तहसील दांतारामगढ में जाकर दिनांक 30.08.2011 को नकल प्राप्त करने पर उक्त गलत नामांतरण सं0 45 दिनांक 30.08.11 की जानकारी हुई अतः अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है। यहां यह तथ्य भी उल्लेख करना समीचीन होगा कि अवैध व प्रभावशुन्य दस्तावेज को कभी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है फिर भी धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग सें प्रस्तुत किया गया है। अतः अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामांतरण सं0 45 दिनांकित 15.12.1972 ग्राम पंचायत जाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर को निरस्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं0 3 की ओर सें वकील श्री नंदलाल धायल हाजिर आये।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं विद्वान अभिभाषकगणों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। अपीलांट फूलकंवर द्वारा नामांतरण सं0 45 दिनांकित 15.12.1972 ग्राम पंचायत जाना जिला सीकर निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट सं0 3, 4 के वकील द्वारा जवाब आवेदन प्रस्तुत कर अपील मियाद बाहर होने के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर अपील मियाद के बिंदु पर खारिज करने हेतु तर्क दिया गया। वकील अपीलांट द्वारा तर्क दिया गया कि अपीलांट वृद्ध एवं अनपढ महिला है जिसें दिनांक 30.08.2011 को नकल प्राप्ति पर नामांतरण सं0 45 की जानकारी हुई और जानकारी प्राप्ति सें अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की एवं धारा 5 अवधि परिसीमा अधिनियम का प्रार्थन पत्र पृथक सें प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर माननीय राजस्व बार्ड में निर्णय दिनांक 30 सितम्बर 2005 मालाराम बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय के अनुसार परिसीमा अधिनियम, 1963, धारा 5– विलम्ब माफी– इसके प्रावधान– न्यायालयों को नरम रूख अपनाना चाहिए– पक्षकारों के साथ सारभूत न्याय करने के लिए मामलों को गुणावगुण पर विनिश्चय करने हेतु अधिनियम की धारा 5 लागू करके विधान मण्डल ने विलमब माफी देने हेतु न्यायालय को शक्तियां प्रदान की है।"इस संबंध में RRD 1965 पेज 119 तथा A.I.R. 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 1353 उद्धरण में दिये गये निर्णयों पर विचार आवश्यक है। RRD 1965 पेज 119 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रभावित पक्षकारों को कब जानकारी हुई और उससें मियाद को गिनना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मियाद पर विचार करते वक्त अदालत को उदार रूख अपनाना चाहिए ताकि मामलों का

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

गुणावगुण व निर्णय हो सके इसके लिए मियाद माफी में प्रावधान बनाए गये है–

AIR 1987 SUPREME COURT,1353:

(B) Limitation Act(36 of 1963), S.5- Condonation Of dely courts should adopt liberal approach- Reasons for adopting such approach stated.

3. The legislature has conferred the power to condone delay by enacting S.5 of the Indian Limitation Act of 1963 in order to enable the courts to do substantial Justice to parties by disposing of matters ' merits'. The expression "sufficient cause" employed by the legislature is adequately elastic to enable the courts to apply the law in a meaningful manner which subserves the ends of justice the being the life purpose for the existence of the institution of courts. It is common knowledge that this court has making a justifiably liberal approach in matters instituted in this court. But the message does not appear to have percolated down to all other courts in the hierarchy. And such a lieral approach is adopted on principle as it is realized that-

1. Ordinarily a litigant does not stand to benefit by lodging an appeal late.
2. Refusing to condone delay can result in a meritorious matter being thrown out at the very threshold and cause of justice being defeated as against this when delay is condoned, the hishest that can happen is that a cause would be decided on merits after hearing the parties.

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों की चस्पानगी हस्तगत प्रकरण पर नहीं होती। अतः उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में न्यायालय के विनम्र मत अनुसार अपीलांट वृद्ध, अशिक्षित होने एवं जानकारी के अभाव में देरी हुआ समय क्षमा किये जाने योग्य होने के कारण रेस्पोडेन्ट सं0 3 द्वारा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner

अपील के मियाद बाहर होने संबंधी आपत्ति खारिज की जाती है एवं अपील का निर्णय गुणावगुण पर होना है।

नामांतरण संख्या 45 दिनांकित 15.12.1972 ग्राम पंचायत जाना जिला सीकर की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन सें स्पष्ट होता है कि खातेदार प्रभुदान पिता पाबुदान की मृत्यु उपरांत विरासत नामांतरण भवानीदान, जगदीशदान, रामचन्द्रदान, ब्रजदान, पिता प्रभुदान के नाम सें तस्दीक किया गया जबकि प्रभुदान की बेवा फूलकंवर का नामांतरण में कहीं भी इन्द्राज नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार मृतक पुरूष की पत्नि, पुत्र एवं पुत्रियां प्रथम श्रेणी की वारिसान होती है। अतः नामांतरण संख्या 45 दिनांक 15.12.1972 भरते समय ग्राम पंचायत जाना द्वारा मृतक प्रभुदान पिता पाबुदान के प्रथम श्रेणी के सभी वारिसान के पक्ष में नामांतरण नहीं भरकर विधिक भूल की है। अतः न्यायहित में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतरण संख्या 45 दिनांकित 15.12.1972 ग्राम पंचायत जाना जिला सीकर को खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार दांतारामगढ को निर्णय की प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक के सभी वारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुए नये सिरे सें नामांतरण भरने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner